न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम–काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–28/2023 विविध(धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

एयू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड पंजिकृत कार्यालय–19 ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी।

––प्रार्थी

बनाम

1. बालाजी गारमेन्टस् जरिये प्रो0 अशोक कुमार पता– वार्ड नं0 9, गांव भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––मूल ऋणी, बंधकग्रहिता

2. अशोक कुमार पुत्र श्री कालूराम जाति वर्मा (कुम्हार) पता– वार्ड नं0 9, गांव भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ एवं अशोक कुमार पता– वार्ड नं0 9, गांव भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––सहऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

आदेश दिनांकः–01.05.2024

प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी मनोज कुमार शाखा हनुमानगढ़ की ओर से श्री पराग जैन वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 17.10.2020 को 'लोन एग्रीमेन्ट' सं. ...62942 के तहत 7,10,000/–रूपये का ऋण प्रार्थी बैंक से लिया था। ग्राम पंचायत भिरानी पंचायत समिति भादरा जिला हनुमानगढ द्वारा एक आवासीय पट्टा सं. 027 पैमाईशी 1500 वर्गफुट अर्थात 166 वर्गगज गांव भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ में स्थित है, जो कि दिनांक 05.08.2014 को अशोक पुत्र श्री कालूराम जाति वर्मा निवासी गांव भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ के नाम से जारीशुदा है। उक्त पट्टे का नवीनीकरण ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.05.2017 को किया गया। उक्त भूखण्ड को उप पंजीयक भादरा द्वारा अशोक पुत्र कालूराम के पक्ष में दिनांक 23.05.2017 को पंजीकृत किया गया। इस प्रकार अशोक पुत्र कालूराम जाति वर्मा (कुम्हार) निवासी–गांव भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ उक्त आवासीय भूखण्ड पैमाईशी 1500 वर्गफुट का एकल स्वामी है। अप्रार्थीगण ने उक्त दस्तावेजात को प्रार्थी बैंक के पास रहन/बंधक/आडमान किया।

अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और दिनांक 08.09.2022 को ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी के [illegible] 491/–रूपये (अखरे सात लाख अड़तीस हजार चार सौ ईकानवे रूपये) बक[illegible] ब्याज, शास्तियाँ व अन्य खर्चे दिनांक 12.09.2022 तक शेष व देय [illegible] का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.20 09:42:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी बैंक ने दिनांक 14.09.2022 को उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस को दिनांक 19.09.2022 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। प्रार्थी बैंक ने उक्त नोटिस की सूचना समाचार पत्र 'दैनिक नवज्योति व इण्डियन एक्सप्रेस' में भी दिनांक 09.10.2022 को जारी की थी। उक्त सूचनाओं की समाप्ति के 60 दिवस तक अप्रार्थीगण ने देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया ना ही किसी प्रकार का कोई जवाब प्रेषित किया एवं ना ही किसी प्रकार का सम्पर्क साधने की कोशिश की।

अप्रार्थी द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहनशुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी सम्पत्ति ग्राम पंचायत भिरानी पंचायत समिति भादरा जिला हनुमानगढ द्वारा एक आवासीय पट्टा सं. 027 पैमाईशी 1500 वर्गफुट अर्थात 166 वर्गगज गांव भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ में स्थित है, जो कि दिनांक 05.08.2014 को अशोक पुत्र श्री कालूराम जाति वर्मा निवासी गांव भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ के नाम से जारीशुदा है जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 01.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
हनुमानगढ

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.20 09:42:01 IST
Reason: SelfAttested